सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 858 राँची, गुरुवार, 18 कार्तिक, 1938 (श०)

9 नवम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

18 सितम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-77/2015 का०- 9898-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री उदयकांत पाठक, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-579/03, गृह जिला-खगड़िया), सम्प्रति- निलंबित, के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पलामू-सह-भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मेदिनीनगर के पद पर कार्यावधि में कठौतिया कोल माईंस के अन्तर्गत 82.76 एकड़ भूमि जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैर मजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मेसर्स उषा मार्टिन प्रा० लि० को कोयला उत्खनन के लिए नियम विरूद्ध तरीके से आवंटित करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5171/रा०, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के

माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-853/स्था०, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री पाठक के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री पाठक को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री पाठक द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. श्री पाठक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 858-50